

सूचना : यह मार्गदर्शन कोभिडि-१९ महामारी के दौरान परिवर्तन के अधीन है। ७ मई, २०२० तक, इलनिडिस सुप्रीम कोर्ट ने "सभी गैर-आवश्यक अदालती मामलों और कार्यवाही में देरी की है", जिसमें बेदखली कार्यवाही शामिल है। इसके अतिरिक्त, इलनिडिस के गवर्नर ने कार्यकारी आदेश संख्या ३० जारी किया, जो अधिकांश आवासीय और गैर-आवासीय बेदखली को प्रतिबंधित करता है। एक अदालत के आदेश के अनुसार कानूनी नष्कासन तब तक नहीं होगा जब तक कि इलनिडिस सुप्रीम कोर्ट और इलनिडिस के गवर्नर इन आदेशों को वापस नहीं लेते हैं, जो इस नोटिस को अपडेट करने वाले मार्गदर्शन द्वारा परलक्षित होगा।

## तालाबंदी क्या है?

किसी भी समय जब मकान मालकि नमिनलखिति में से करता है या किसी भी आवासीय करियेदार के घर या अपार्टमेंट के संबंध में धमकी देता है तो तालाबंदी पाए जाते हैं ;

- ताले को बदले या अक्षम करें
- किसी भी प्रवेश द्वार को ब्लाक करें
- दरवाजे या खड़कियां हटाएँ
- उपयोगिता सेवाओं के साथ बंद करें या हस्तक्षेप करें, जिसमें गर्मी, बजिली, गैस, गर्म या ठंडा पानी, प्लंबिंग और फोन सेवा शामिल है
- उपकरणों या फक्सचर को नकालें
- करियेदार की नजि संपत्ति को नकालें
- करियेदार या उनकी संपत्ति के खिलाफ हिंसा का उपयोग करें या धमकी दें
- कोई अन्य कार्य संपत्ति को दुर्गम या नरिजन बनाने के लिए करें

## कैसे मैं तालाबंदी की रपिपोर्ट करूँ ?

प्रभावित करियेदारों को लॉकआउट रपिपोर्ट करने के लिए ३११ पर कॉल करना चाहिए और मामले की रपिपोर्ट मांगनी चाहिए।

## तालाबंदी की रपिपोर्ट करने के बाद क्या होगा ?

तालाबंदी एक नागरिक मामला नहीं है। यह शिकागो पुलिस वभाग (सीपीडी) की नीति है और शिकागो नगर संहिता की एक आवश्यकता है कि जब भी किसी तालाबंदी की शिकायत मिलती है, तो सीपीडी जांच करेगा, और उल्लंघन होने पर उचित कार्रवाई करेगा।

## सीपीडी (CPD) कैसे छानबीन करेगा?

जब एक सीपीडी अधिकारी को, एक मकान मालकि-करियेदार विवाद को सौंपा जाता है, जिसमें तालाबंदी का आरोप लगाया जाता है, तो अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि तालाबंदी हुई है या नहीं। करियेदार के पास लखिति पट्टा होना आवश्यक नहीं है।

कुक काउंटी शेरफि ने करियेदार को बेदखल करने का आदेश को लागू किया है तो, संपत्ति से तालाबंदी नहीं हुई है, लेकिन यह सलाह दी जानी चाहिए कि वर्तमान में कोभिडि के कारण नष्कासन रुके हुए है।

## कैसे तालाबंदी सुलझा जाएगा?

यदि सीपीडी दृश्य में है और यह निर्धारित किया है कि मकान मालकि ने आवासीय करियेदार को तालाबंदी करने के लिए धमकी दी है तो, अधिकारी को धमकी देने वाले मकान मालकि को तुरंत खतरो या वास्तविक तालाबंदी को समाप्त करने का निर्देश देना चाहिए, नहति जोखिम को गरिफ्तार किया जाएगा।

लॉकआउट हल किया गया है या नहीं, अधिकारी शिकायत करने को एक विधि घटना रपिपोर्ट (सीपीडी-११.४१९) प्रदान करेगा और उन्हें अतिरिक्त मदद के लिए ३११ पर कॉल करने के लिए सूचित करेगा।